समन्वय समिति

- क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र, मध्यक्षेत्र के कार्यो की समीक्षा, समन्वय एवं अनुश्रवण तथा उसे सलाह देने हेतु संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की जायेगी।
- इस समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होगें :–
  1. क्षेत्रीय संचालक, आर. सी. एफ. सी., जबलपुर
  2. दो राज्यों (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के राज्य औषधीय पादप बोर्डस के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि
  3. दो राज्यों के वन विभागों के प्रतिनिधि (संबंधित राज्यों के वन बल प्रमुखों द्वारा नामांकित)
  4. छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान संस्थान के संचालक अथवा उसके प्रतिनिधि
  5. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की निम्न शाखाओं / प्रभागों के प्रमुख
     - क. जैव–विविधता और औषधीय पौधे
     - ख. वन अनुवांशिकी, एवं जैव–प्रौद्योगिकी शाखा
     - ग. बीज तकनीकी शाखा
     - घ. सामाजिक आर्थिकी और विपणन शाखा
     - ड़. वन–वनस्पति शाखा
     - च. वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण शाखा
     - छ. वृक्ष सुधार शाखा
     - ज. प्रशिक्षण, विस्तार और परामर्श शाखा
     - झ. पुस्तकालय और प्रलेख्य शाखा
  6. संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा नामित संस्थान के एक अपर संचालक / उपसंचालक
  7. क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र के उपसंचालक / सहायक संचालक / आहरण एवं संवितरण अधिकारी
  8. क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र के परामर्शदाता
  9. संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ / विशेष आमंत्रित व्यक्ति
  10. समन्वयक – सदस्य सचिव
- समन्वय समिति की बैठके सामान्यतः त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित की जायेगी।

निर्गुण्डी (वाइटेक्स् निगुण्डो)

कार्य योजना

क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र, जबलपुर की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जायेगी जिसे राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड से अनुमोदित कराया जायेगा तथा अनुमोदित कार्य योजना एवं बजट उपलब्धता के अनुसार केन्द्र की गतिविधियां संचालित की जायेगी ।

कार्य योजना में निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित की जा सकेगी :–

- औषधीय पादप संम्पदा की दृष्टि से समृद्ध वन क्षेत्रों की पहचान, सर्वेक्षण एवं संसाधन आंकलन
- पूर्व में निर्मित औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्रों (MPCAs) में संरक्षण की वर्तमान स्थिति का अध्ययन एवं नवीन क्षेत्रों की पहचान
  - क्षेत्र विशिष्ट गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री (QPM) तैयार कर इच्छुक कृषकों / शासकीय विभागों / अशासकीय संस्थाओं को रोपण उपलब्ध कराना।
- विभिन्न चिन्हित एवं प्रासंगिक विषयों पर अनुसंधान कार्य करवाना । उदाहरणार्थ :–
  - प्रजाति विशिष्ट उत्तम कृषि तकनीक (GAPs) / उत्तम वन संरक्षण तकनीक (GFCPs) का विकास
  - विभिन्न प्राप्ति स्थलों तथा विभिन्न समयों पर विदोहित औषधीय पौधों में सक्रिय अवयवों (active ingredients) की मात्रा का आंकलन

सीता फल (एनोना स्क्वामोशा)

  - दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटापन्न एवं स्थानिक प्रजातियों के अतःस्थलीय / बाह्य स्थलीय संरक्षण तकनीकों का विकास
  - विभिन्न प्रजातियों की संवहनीय विदोहन सीमाओं (sustainable harvesting limits) का निर्धारण
  - विभिन्न औषधीय पादप उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, श्रेणीकरण एवं भंडारण तकनीकों का विकास
  - बेहतर गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली किस्मों का विकास
  - वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की आपूर्ति–मूल्य श्रृंखलाओं का अध्ययन
  - औषधीय पौधों से संबंधित परंम्परागत ज्ञान का अभिलेखन

शंखपुष्पी (इवॉल्वुलस एल्सिनोइडिस)

- विभिन्न हितधारकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर उनका क्षमता विकास
- विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं इत्यादि के रूप में साहित्य का प्रकाशन
- स्थानीय हितधारकों / ख्याति प्राप्त संगठनों के सहयोग से प्राथमिक प्रसंस्करण, ग्रेडिंग एवं विपणन सुविधाओं का विकास
- औषधीय पौध उत्पादों की विपणन सूचना प्रणाली का विकास ।
- औषधीय पौधों से संबंधित आंकडा–आधार (Database) का संकलन, विश्लेषण एवं एकीकरण।
- मध्य क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों के विभिन्न हितधारकों (राज्य औषधीय पादप बोर्ड, मिशन योजना की एजेन्सियां, औषधीय पौधों के विकास के क्षेत्र में संलग्न विभिन्न संस्थान एवं अन्य संगठन आदि) को एक साथ लेकर उन्हें सहयोग का एक मंच प्रदान करना।
- मध्य क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा विभिन्न संस्थाओं / संगठनों / व्यक्तियों को स्वीकृत परियोजनाओं, में से इस केन्द्र को सौंपी गई परियोजनाओं का अनुश्रवण / मूल्यांकन समीक्षा करना।
- मध्य क्षेत्र में औषधीय पौधों के मामलों में सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करते हुये राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करना।
- अन्य कोई कार्य, जो समय–समय पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा सौंपे जाये।

भृंगराज (इक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा)

संपर्क करें :–

मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी औषधीय पादपों से संबंधित हितधारक संस्था अथवा व्यक्ति जैसे :– उत्पादक, संग्राहक, प्रसंस्करणकर्ता, व्यापारी, औषधि निर्माता, अनुसंधानकर्ता जानकारी हेतु निम्न पते पर संपर्क कर सकते है :–

पत्र व्यवहार का पताः–

समन्वयक

रीज़नल–कम–फेसिलीटेशन सेन्टर (आर.सी.एफ.सी.)

राज्य वन अनुसंधान संस्थान परिसर, पोलीपाथर, नर्मदा रोड़,

जबलपुर–482008 (मध्य प्रदेश) भारत

फोन नं.: 0761–2665540, 2661938, फैक्स : 0761–2661304

ई–मेल– rcfc_sfri817@rediffmail.com; sdfri@rediffmail.com

वेब–साइट : http://www.mpsfri.org

Amrit Offset # 0761-2413943

क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र

मध्य क्षेत्र, जबलपुर (आर.सी.एफ.सी.)

(राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय ; भारत सरकार)

एक परिचय

राज्य वन अनुसंधान संस्थान परिसर

पोलीपाथर, नर्मदा रोड़, जबलपुर - 482008 (म.प्र.)

फोन नं.: 0761-2665540, 2661938, फैक्स : 0761-2661304

2018

पृष्ठ भूमि–

घवई (*वुडफोर्डिया फ्रुक्टिकोशा*)

15 कृषि–जलवायु क्षेत्रों के साथ भारत की गणना जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के समृद्धतम देशों में की जाती है। यह जैव विविधता मृदा, जलवायु एवं भू–आकृति की विविधता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 17–18 हजार पुष्पीय पादप प्रजातियों में से सात हजार से अधिक प्रजातियों के सम्पूर्ण पादपों अथवा उनके विभिन्न पादपांगों का उपयोग किसी न किसी रूप में विभिन्न व्याधियों के परम्परागत घरेलू उपचार में अथवा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली औषधियों के निर्माण में किया जाता है।

यद्धपि विगत कुछ वर्षो में औषधीय पौधो की खेती के कार्य ने गति अवश्य पकडी है, परन्तु अभी भी औषधि निर्माता कम्पनियों के लिये औषधीय पादपों के कच्चे माल की मांग की पूर्ति प्रमुखतः प्राकृतिक वन्य स्त्रोतों से ही की जा रही है। वनों के अन्दर अथवा उनके समीपस्थ निवासरत ग्रामीण वनों से औषधीय पादपों का संग्रहण कर न केवल उनका उपयोग स्वयं की व्याधियों के घरेलू उपचार में करते हैं, अपितु उनकी अतिरिक्त मात्रा को स्थानीय हाट–बाजारों में व्यापारियों को विक्रय कर अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु अतिरिक्त आय भी अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार औषधीय पौधे न केवल पारम्परिक घरेलू औषधियों के अनिवार्य घटक एवं जड़ी–बूटी आधारित (हर्बल) औषधि उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले आधारभूत संसाधन हैं, अपितु वे वनाश्रित ग्रामीण समुदायों, विशेषकर जनजातीय समुदायों, को आजीविका के साथ–साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान करते है।

विगत कुछ दशकों में न केवल भारत में अपितु विश्व के अन्य देशों में भी जड़ी–बूटी आधारित चिकित्सा पद्धतियों के प्रति रूझान बढ़ा है क्योंकि शनैः शनैः ऐसी धारणा बलवती होती जा रही है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाली सामान्यतः विभिन्न रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण अथवा मिश्रण से तैयार की जाने वाली औषधियॉं रोग के लक्षणों का उपचार तो करती है परन्तु उनके प्रतिकूल सहप्रभावों की संभावना भी बनी रहती है। यही कारण है कि जड़ी–बूटी आधारित औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पादपों की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है। वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसी 242 औषधीय पादप प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनकी मांग विगत वर्षो में तेजी से बढ़ी है।

चूंकि औषधि निर्माता कंपनियों से पर्याप्त प्रोत्साहन, सहयोग व समर्थन के अभाव में औषधीय पौधों की खेती अपेक्षित गति प्राप्त करने में असफल रही है, अतएव बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु प्राकृतिक वन क्षेत्रों से वाणिज्यिक महत्व की औषधीय पादप प्रजातियों की असंवहनीय निकासी भी उसी अनुपात में तेजी से बढ़ी है। इसके कारण इनमें से अधिकांश प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में है तथा कई प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर पहुँच गई है।

हरसिंगार (*निक्टेन्थस आर्बोरट्रिसटिस*)

आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत प्रयुक्त औषधियों के शास्त्रोक्त विधियों से निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अनेक औषधीय पादप प्रजातियों के विलुप्त हो जाने अथवा उनके 'दुर्लभ', 'लुप्तप्राय' अथवा 'संकटापन्न' श्रेणी में आ जाने के फलस्वरूप मांग की तुलना में उनकी उपलब्धता अति न्यून रह गई है जिसके कारण अधिकांश भेषज कंपनियां उनके प्रतिस्थापकों (substitutes) अथवा विकल्पों (alternatives) का सहारा ले रही है। फलस्वरूप निर्मित औषधियों की गुणवत्ता एवं रोग निवारण क्षमता भी प्रतिकूलतः प्रभावित हो रही है।'

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

उपरिवर्णित ज्वलंत समस्याओ के निवारण हेतु प्रभावी रणनीति तैयार कर ठोस एवं समन्वित प्रयास करने एवं औषधीय पादप सेक्टर के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 24 नवम्बर 2000 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई ताकि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली जड़ी–बूटियों की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु प्रामाणिक एवं गुणवत्तायुक्त कच्चे माल की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित हो सके एवं यह सेक्टर अपनी संभावनाओं के अनुरूप विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले एक उदीयमान सेक्टर के रूप में भी विकसित हो सके।

वर्तमान में यह बोर्ड भारत सरकार के आयुष (आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपेथी) मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का प्राथमिक अधिदेश (mandate) औषधीय पादप सेक्टर के समग्र विकास हेतु संबंधित विभिन्न मंत्रालयों /विभागों/संगठनों के मध्य समन्वय हेतु उपयुक्त तंत्र का विकास करना और औषधीय पौधों के संरक्षण, संवहनीय विदोहन, खेती, प्रसंस्करण, व्यापार, निर्यात एवं सेक्टर के समग्र विकास में सहायक नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

कालमेघ (*एंडोग्राफिस पेनीकुलेटा*)

बोर्ड के लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियां

- औषधीय पादप सेक्टर के समग्र विकास हेतु उपयुक्त राष्ट्रीय औषधीय पादप नीति तैयार करना ।
  औषधीय महत्व की पादप प्रजातियों का स्व–स्थानी (in-situ) एवं पर–स्थानी (ex-situ) संरक्षण एवं विकास।
- वन्य स्त्रोतों से औषधीय पौधों के संवहनीय, विनाशविहीन एवं गुणवत्तायुक्त विदोहन हेतु उत्तम संग्रहण तरीको (Good Collection Practices) को प्रोत्साहित करना एवं इस हेतु प्रशिक्षण कार्यक्मों के माध्यमों से संग्राहको का क्षमता विकास करना।
- औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना तथा इस कार्य में संलग्न कृषकों को होने वाली कठिनाईयों व समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास करना ।
- औषधीय पौधों की अच्छी कृषि तकनीकों (Good Agricultural Practices) का विकास करना एवं उनका प्रसार करना।
- औषधीय पौधों के प्रसंस्करण एवं सुरक्षित भंण्डारण हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास एवं संवहनीय विदोहन के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्मों एवं गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- घरों/शिक्षण संस्थानों में औषधि वाटिकाओं (हर्बल गार्डन्स) के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- वाणिज्यिक महत्व के औषधीय पौधों की मांग, आपूर्ति एवं बाजार भावो की अद्यतन एवं विश्वसनीय जानकारी संग्राहकों एवं उत्पादकों को सुलभता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कारगर विपणन सूचना प्रणाली (Marketing Information System) विकसित करना।
- औषधीय पौधों की खेती में प्रयुक्त होने वाले बीजों तथा अन्य रोपण सामग्री एवं औषधि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उनके मानकीकरण (certification) को प्रोत्साहित करना।
- औषधीय पौधों के संरक्षण, संवहनीय विदोहन, खेती, प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित पारम्परिक ज्ञान (Traditional Knowledge) का प्रलेखन (documentation) एवं वैधीकरण (validation)।
- औषधीय पौधों से संबंधित प्रजातिवार मोनोग्राफ्स, विषयवार पुस्तिकाओं एवं अन्य प्रचार–प्रसार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण।
- औषधीय पौधों के संबंध में गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

रामदातौन (*स्माइलेक्स जेलेनिका*)

क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्रों की स्थापना एवं अधिदेश

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय स्तर पर पांच (05) क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इन क्षेत्रीय स्तर के केन्द्रों का अधिदेश औषधीय पौध सेक्टर से संबंधित समस्त पहलुओं पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्त संबधित हितधारकों (stakeholders) के साथ समन्वय करते हुये सेक्टर के समग्र विकास के लिये कार्य करना है एवं उन्हें आवश्यक सुविधा व सहयोग प्रदान करना है। क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्रों द्वारा जिन विषयों पर कार्य किया जाना है उनमें औषधीय पौध संपदा से समृद्ध वनक्षेत्रों की पहचान, सर्वेक्षण एवं निरूपण से ले कर, संकटापन्न एवं स्थानिक (endemic) प्रजातियों के स्व–स्थानी (in-situ) एवं पर–स्थानी (ex-situ) संरक्षण, औषधीय पौधो की खेती, अनुसंधान एवं विकास, विपणन इत्यादि समस्त विषय सम्मिलित हैं। इन केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं तथा कार्यक्मों के प्रचार–प्रसार एवं उनके कियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी किया जायेगा तथा इनके बारे में बोर्ड को फीड–बैक उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त केन्द्रों द्वारा विभिन्न हितधारकों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेगें। औषधीय पौधों की खेती करने के इच्छुक कृषकों को गुणवतायुक्त एवं प्रमाणित बीज अथवा अन्य रोपण सामग्री एवं तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त केन्द्र औषधीय पौधा संग्राहकों/उत्पादकों को उनके उत्पादो के विपणन के संबंध में भी आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगें। ये केन्द्र राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का भी कार्य करेगें। ये केन्द्र संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सेक्टर से संबंधित विभिन्न शासकीय विभागों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय संस्थानों से भी समन्वय स्थापित करेगे। ये केन्द्र समय–समय पर गोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन कर औषधीय पौध सेक्टर के विभिन्न हितधारकों जैसे – संग्राहको, उत्पादको, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, औषधि निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, इत्यादि को एक दूसरे से मिलने एवं उपयोगी विचार विमर्श करने के लिये उपयोगी मंच भी उपलब्ध करायेगें। कुल मिला कर ये केन्द्र राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करेगें।

केवकंद सफेद (*कोस्टस स्पेसियोसस*)

क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र, मध्यक्षेत्र, जबलपुर

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने अपने पत्र एफ क./ए–11019/04/2016–एन.एम.पी.बी.– III, दिनांक 21 अगस्त, 2017, द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान परिसर जबलपुर में मध्यक्षेत्र, जिनमें मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है, के लिये बोर्ड के क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है।

इस केन्द्र ने मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पोलीपाथर, नर्मदा रोड़, जबलपुर स्थित संस्थान परिसर में अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है।

प्रशासनिक ढांचा

काली मूसली (*कुरकुलिगो ऑर्किओइडस*)

- उक्त केन्द्र संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के व्यापक प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में कार्य करेगा।
- संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा इस केन्द्र में कार्यरत अमले के लिये बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।
- राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के आहरण एवं संवितरण अधिकारी अथवा संचालक, द्वारा इस हेतु नामित संस्थान का कोई अन्य अधिकारी इस केन्द्र के आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य भी करेगा।
- इस केन्द्र में समस्त गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व क्षेत्रीय संचालक का होगा।
- क्षेत्रीय संचालक की सहायता के लिये राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उपसंचालक, सहायक संचालक एवं अन्य आवश्यक क्षेत्रीय/ कार्यालयीन अमले को नियुक्त किया जायेगा। उक्त समस्त अधिकारी एवं अमला क्षेत्रीय संचालक के प्रशासनिक नियंत्रण एवं तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करेगा।
- क्षेत्रीय संचालक एवं केन्द्र के अन्य पदाधिकारियों तथा अमले की नियुक्ति संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा की जायेगी। इनके अलावा आवश्यकतानुसार परामर्शदाता (consultants) भी नियुक्त किये जा सकेगें। सभी नियुक्तियां अस्थायी एवं नियतकालिक होगी।
- केन्द्र में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों, कार्यालयीन व्यय एवं क्षेत्रीय कार्यो हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा। संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा संस्थान के किसी अधिकारी/वैज्ञानिक/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र का समन्वयक नियुक्त किया जा सकेगा। उक्त समन्वयक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों के शासकीय विभागों, राज्य औषधीय पादप बोर्ड्स, राज्य वन अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करेगा। समन्वयक सदस्य सचिव की हैसियत से समन्वय समिति की बैठकों का भी आयोजन करेगा।